

ज० अ०/ जे० अ०

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़

सेवा में,

जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़

ज० अ०
27 FEB 2017

दिनांक : पिथौरागढ़ : फरवरी 25 / 2017.

विषय- जनपदों/विभाग की वेबसाईट पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का बटन (हाईपरलिंक) बनाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-र-3961/पन्द्रह-से०अधि०/2016-17 दि० 10.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सूचित सेवाओं के सम्बन्ध में अपने विभाग से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः उक्त के सम्बन्ध में वांछित विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ज० अ०
जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण- जनपद पिथौरा

क्रम सं०	अधिसूचित सेवा	राशनकार्ड बनाये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र	निर्धारित समय सीमा	निर्धारित शुल्क	पदाभिहित अधिकारी का नाम/पदनाम व पता	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम व पता	प्रथम अपील के निस्तारण की समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राशनकार्ड	पूर्व निवास स्थान का निरस्तीकरण प्रमाण पत्र, मुखिया का मतदाता पहचान पत्र, सभी सदस्यों के आधार नम्बर, मुखिया का बैंक एकाउण्ट नम्बर, आय प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो	10 दिन	5.00 रू०	1. श्रीमती निर्मला पुनेटा, पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय पिथौरागढ़ 2. कु० हेमा बिष्ट, स०खा०नि० डीडीहाट 3. श्री जोगा राम स०खा०नि० गंगोलीहाट 4. श्री संजय सिंह बिष्ट स०खा०नि० बेरीनाग 5. श्री किशन सिंह केन्द्र प्रभारी, धारचूला	श्री मनोज कुमार बर्मन, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पूर्ति कार्यालय पिथौरागढ़	30 दिन	जिलाधिकारी पिथौरागढ़	30 दिन
2.	राज्य खाद्य सुरक्षा योजना	उपरोक्त	10 दिन	10-00 रू०		उपरोक्त	30 दिन	उपरोक्त	30 दिन


जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़